न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः– ओम कसेरा, **I.A.S.**

प्रकरण संख्या –9/2007 (अपील)

1. शमशेर एस0 परमानी, 154–ए, श्रीनाथपुरम कोटा जिला कोटा (राज.)
––अपीलाण्ट.

बनाम

1. श्री गणेशलाल पुत्र श्री घीसा लाल जाति मेघवाल निवासी सी–10 बल्लभबाडी, कोटा राजस्थान
2. सुरेन्द्र अग्रवाल पुत्र श्री गोपीलाल मुख्तार आम जाति मेघवाल निवासी सी–10 बल्लभबाडी, कोटा

––रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्व नामान्तकरण सं0 116 दिनांक 03.01.2006 पटवारहल्का रायपुरा, तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा,

उपस्थिति

1. श्री श्री भगवानदास परमाणी, अपीलान्ट
3. श्री नरेन्द्र गुप्ता, वकील रेस्पो0

निर्णय

दिनांक– 17.03.2020

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, लाडपुरा द्वारा नामा0 सं0 116 दिनांक 03.01.2006 ग्राम कंसुआं में आदेश पारित कि–" मुताबिक बैयनामा, व रिपोर्ट पटवारी, के नामान्तकरण केता के पक्ष में स्वीकार है ।" बाबत आदेश पारित किया गया ।

2. उक्त आदेश की अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 27.11.2006 को पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खोला गया उक्त इन्तकाल नं0 116 ग्राम कन्सुआ दिनांक 3.1.2006 नियत न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तकरण संख्या 116 दिनांक 03.01.2006 को केसरा पुत्र श्री मंगला चमार व इसके वारिसान के स्थान पर गणेशलाल पुत्र श्री घीसा मेघवाल निवासी सी–10 बल्लभबाडी कोटा के पक्ष में तहसीलदार लाडपुरा द्वारा तस्दीक किया है जो विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है । केसरा पुत्र श्री मंगला चमार व उसके परिवार के सदस्यों से अपीलांट ने जमीन दिनांक 7.4.1964 , 16.7.65 में रजिस्टर्ड सेलडीड/ विक्रय नामा से खरीद कर रखी है और तब से ही उक्त खरीदशुदा आराजी पर अपीलांट ही काबिज काश्त चला आ रहा है । केसरा पुत्र श्री मंगला चमार के वारिसों ने धोखधडी से उपरोक्त विक्रय नामा के तथ्य रजिस्टार रजिस्ट्रेशन को नहीं बताकर उक्त आराजी का बेचान रेस्पो0 को कर दिया है जो न्याय नियमों के सर्वथा विपरीत होने से अपीलांट के हितों के विरूद्व सर्वथा बेअसर व प्रभाव शून्य है । इस आराजी को दौ बार बेचान नहीं की जा सकती, पश्चातवर्ती बेचान पूर्णतया बेअसर व प्रभावशून्य है । अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश कानून के

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

विरूद्व है इसलिये निरस्त किये जाने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि वह नामान्तकरण खोलने व तस्दीक करने से पूर्व मौके पर कब्जा की स्थिति की जांच करता तथा कब्जाधारी को सूचित कर उससे आपत्तियां प्राप्त करता लेकिन ऐसा न कर अधीनस्थ न्यायालय ने गलत रूप से इन्तकाल खोल व तस्दीक कर दिया जो हर तरह से निरस्त किये जाने योग्य है । विवादित आराजी पर 175 आर टी ए की कार्यवाही भी अपीलांट के विरूद्व न्यायालय एस डी ओ कोटा में की गई लेकिन वह खरिज हो चुकी है, जमीन पर कब्जा अपीलांट का बरकरार रखने के आदेश दिये गये है, धारा 42 आर टी एक्ट की धारा भी इस प्रकरण में प्रभावहीन हो चुकी है, क्योंकि एक्ट लागू होने के पूर्व 1964 में ही आराजी अपीलांट को बेची जा चुकी है । नामान्तकरण का ज्ञान अपीलांट को दिनांक 18.11.2006 को सर्वप्रथम पटवारी हल्का से जानकारी मिलने पर हुआ, उसी दिन नकल हेतु आवेदन पेश किया, दिनांक 27.11.2006 में कन्हैयालाल बनाम गणेश में नामान्तकरण फाईल संलग्न है । अवलोकन फरमावें, फाईल आपके कार्यालय में है तहसील से नकल न हो पाई, इस प्रकार ज्ञान की तिथि से यह अपील अवधि मध्य प्रस्तुत की जा रही है, देरी को कन्डोन किया जाकर अपील अवधि मध्य मानी जावें । अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का उपरोक्त नामान्तकरण सं0 116 दिनांक 03.01.2006 ग्राम कन्सुआ तहसील लाडपुरा ज़िला कोटा निरस्त फरमाया जावें ।

5. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस तलब किया गया । वकील रेस्पोडेन्ट उपस्थित । वकील अपीलांट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई । वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

3. वकील अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस में कथन किया है कि इस केस से समबन्धित अपीलकर्ता भगवानदास परमानी रिटायर्ड पी.ए. एस पी एण्ड कलक्टर सम्बन्धित जमीन 1950 में, शुडुल कास्ट के सदस्य से खरीद की थी जिस पर 1950 से आज से आज तक बिना किसी व्यवधान के हमारा कब्जा काश्त चला आ रहा है उपरोक्त जमीन की रजिस्ट्री 64 में तथा 65 में हुई , जमीन का कब्जा हमारे पास 1950 से आज तक कायम है । उक्त जमीन 1950 में खरीद की गयी है जिसके स्टाम्प व अन्य दस्तावेज रिकार्ड पर मौजूद है तथा इसी जमीन की रजिस्ट्री भी दौ बार अपीलान्ट के हक में हो चुकी है । माननीय तहसीलदार लाडपुरा में 175 आर टी एक्ट के तहत एस डी ओ कोर्ट कोटा में दावा पेश किया कि यह जमीन अनुसूचित जाति के सदस्यों से खरीद की गयी है स्वर्ण जाति के सदस्य द्वारा खरीदने पर 42 आर टी एक्ट की धारा लागू होती है । इसलिये उपरोक्त बेचान व खरीद अवैध है । जमीन को सिचायचक घोषित किया जावें । माननीय एस डी ओ कोटा ने केस का गहरा अध्ययन किया और उपरोक्त आधर पर जमीन की खरीद व बेचान अवैध है, भगवानदास परमाणी व उसके भाई को जमीन से हटाया नही जा सकता है और इनका जमीन का खाता खोला जावें , एस डी ओ की डिकी पालना करने के लिये एस डी ओ ने तहसीलदार को क्लियर आदेश दिये लेकिन तहसीलदार ने अज्ञात कारणवश करीब 10 साल बाद वही अपीलान्ट द्वारा खरीदी हुयी जमीन को दुबारा पूर्व विकेता चमारों से खरीदा रेस्पोडेन्ट और तहसीलदार से सांठ गांठ कर जमीन का म्यूटेशन अपने नाम से करवा लिया । बेचान की हुयी जमीन को दुबारा बेचान की रजिस्ट्री नहीं हो सकती वही जमीन दुबारा बेचान नहीं की जा सकती । इसलिये माननीय

जिला कलक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

ए.सी.जे.एम कोटा ने 420, 406, 467, 468 आई पी सी का केस रजिस्टर कोर्ट में किया गया जिसमें कोर्ट ने प्रसंज्ञान लेकर सम्मन वारंट से मुलजिमानों को तलब किय गया है । इस जमीन का स्टे अपीलांट के हक में है जो फाईल पर मौजूद है । सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के मुताबिक जो जमीन 1964 के शुरू के महिनों में खरीदी गयी है उस पर धारा 42 आर टी एक्ट लागू नहीं होता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का उपरोक्त नामान्तकरण सं0 116 दिनांक 03.1.2006 ग्राम कन्सुआ तहसील लाडपुरा जिला कोटा निरस्त फरमाया जावें ।

2. वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा कथन किया कि जैर अपील नामान्तकरण सं0 116 ग्राम कंसुआ दिनांक 3.1.2006 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खोला जाकर तस्दीक किया गया है । नामान्तकरण प्रकिया में कोई त्रुटि नहीं है । विवादित आराजी के सम्बन्ध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.7.2008 के विरूद्व राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में अपील पेश करने पर राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा आदेश दिनांक 15.4.2015 को उपखण्ड अधिकारी कोटा के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.7.2008 को निरस्त किया जा चुका है ।

3. हमने वकील उभयपक्ष की बहस सुनी व बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया एवं पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया । उक्त जेर अपील नामा0 सं0 116 ग्राम कन्सुआ दिनांक 03.01.2006 के विरूद्व दिनांक 27.11.2006 को पेश की गई है । उक्त नामान्तकरण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खोला गया है । अपीलांट का कहना है कि उक्त विवादित जमीन उनके द्वारा पूर्व में क्रय की गई थी । जैर अपील नामान्तकरण की भूमि के सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों में वाद चले है, तथा वर्तमान में भी राजस्व मण्डल अजमेर में प्रकरण विचाराधीन होना जाहिर होता है, ऐसी स्थिति में हक व अधिकार मूल वाद में ही तय होंगे । जैर अपील नामान्तकरण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खोला गया है, इस नामान्तकरण प्रकिया में हम कोई त्रुटि नहीं पाते है । ऐसी स्थिति में अपील अस्वीकार योग्य पाते है ।

4. अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । जैर अपील नामान्तकरण प्रकिया में हम कोई त्रुटि नहीं पाते है, ऐसी स्थिति में नामा0 सं0 116 ग्राम कंसुआ दिनांक 03.01.2006 यथावत रखा जाता है ।

5. निर्णय आज दिनांक 17.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम कसेरा)
जिला कलक्टर कोटा
जिला कलक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner